कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14373/1329 दिनांकः– 16/09/13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महोदय,

नगर परिषद डुमरॉव के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 09/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर परिषद् डुमरॉव
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–09/13–14
(अवधि– 2010–11 से 2011–12 तक)

1. **प्रस्तावना**

नगर परिषद डुमरॉव के वित्तीय वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (ले0प0), सामाजिक प्रक्षेत्र–I बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.12.2012 से 30.12.2012 की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

(i)	**अध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
	श्रीमती मीरा देवी	अनुपलब्ध
(ii)	**कार्यपालक पदाधिकारी,**	**अवधि**
	श्री अरविन्द कुमार	7.10.2009 से 24.4.2010
	(अनुपलब्ध)	25.4.10 से 23.10.10
	श्री कुमार रवीन्द्र	24.10.2010 से 31.3.2012

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र**

अकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नही किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4. **आंतरिक लेखापरीक्षा**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 (नियम 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथव अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाए, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जॉच की व्यवस्था, उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा नही गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गई, जिनका उल्लेख कंडिकाओं में किया गया है।

(17)

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के आलोक में किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यगत अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन के अभाव में लेखापरीक्षा का प्रयोजन ही निष्फल होता है। वर्तमान में निम्न प्रतिवेदनों पर अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद डुमरॉव द्वारा समर्पित नहीं किया गया था:–

क्र0सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा की अवधि	कुल कंडिका
1	152/1991-92	1986-87 to 1988-89	06
2	72/1995-96	1990-91 to 1994-95	35
3	03/2001-02	1995-96 to 1999-00	38
4	190/2006-07	2000-01 to 2005-06	54
5	476/2008-09	2006-07 to 2007-08	37
6	164/2011-12	2008-09 to 2009-10	24

उक्त वर्णित प्रतिवेदनों के अनुपालन समर्पित नहीं करने से वित्तीय अनियमितताएँ जैसे–गबन, दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः नगर परिषद के पदाधिकारियों एवं सशक्त स्थायी समिति का ध्यानाकर्षण लेखापरीक्षा में लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कारगर कदम उठाने की ओर किया जाता है ताकि सांवैधानिक प्रावधानों के आलोक में लोक धन की पारदर्शिता, सरकारी दिशा– निर्देशों एवं निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अनुदानों की वास्तविकता परिलक्षित हो सके।

6. लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क्र.सं.	विवरणी	राशि(₹)	कंडिका सं0
1	सरकारी भवनों पर बकाया कर	1.09 लाख	13 (ग)
2	लेखापरीक्षा के दौरान जमा	0.17 लाख	14(क)
3	प्राप्त राजस्व को नगर परिषद कोश में जमा नहीं किया जाना	0.59 लाख	14(ख)

4	बकाया दुकान किराया	0.79 लाख	16
5	क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं	5.17 लाख	18
6	श्रम उपकर की कटौती नहीं	1.02 लाख	19

7. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के तहत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार किया जायगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन प्राप्त और उपगत किये जाने वाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी साथ ही नगर निगम के मामले में राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा जिसे वह परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख को नगरपालिका को लौटा दिया जायगा।

परंतु नगर परिषद् डुमरॉव द्वारा बजट से संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अवलोकित आय–व्यय की तुलना वर्तमान प्राप्ति एवं व्यय के साथ किया जाना संभव नहीं था।

8. वार्षिक लेखा

वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 के लिए मद्वार प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शानेवाला वार्षिक लेखा, मासिक, त्रैमासिक प्राप्तियों एवं व्ययों के आँकड़े अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। वार्षिक लेखा तैयार नही किये जाने के कारणों को स्पष्ट नही किया गया।

अतः वार्षिक लेखा तैयार कर आवश्यक जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद डुमरॉव को सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2010–2011 से 2011–12 तक के आय–व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है:–

प्रारम्भिक शेष	28862183.81
वर्ष की कुल प्राप्ति	48635264.19

कुल प्राप्ति राशि	77497448.00
कुल व्यय	25410917.00
अन्त शेष	52086531.00

(परिशिष्ट–III)

10. अंतशेष

विभिन्न रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक का दिनांक 31.03.2012 तक का अंतशेष का विश्लेषण निम्न प्रकार है:–

क्रमा0	रोकड़बही का नाम	रोकड़ पंजी पंजी के अंतशेष (31.03.2012)	पासबुक का अंतशेष (31.03.2012)	अन्तर	बैंक का नाम खाता सं0
1	2	3	4	5	6
1	लेखापाल रोकड़बही	40667759.81	39924005.81	743754	कोषागार पासबुक
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	9721781	9671617	190849	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0 70370100189297,
			161919		पंजाब नेशनल बैक, मेन रोड, बक्सर खाता सं0 3877000100092661
			79094		एवं भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 30384542443

विवरणी परिशिष्ट IV पर

रोकड़ बही की त्रुटियॉ–

क. लेखापाल रोकड़बही

(i) कोषागार पासबुक का रोकड़बही से शेष कम

कोषागार पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष में अन्तर की राशि 743754/– के संबंध में लेखापाल द्वारा आय–व्यय विवरणी समर्पित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2010–11 में प्राप्त मैचिंग ग्रान्ट की राशि 501106/– का चालान 21.4.2011 को कोषागार में प्राप्त हुआ जिसके कारण इस राशि को वर्ष 2010–11 से वंचित कर सत्र 2011–12 में समायोजित किया गया। इसके साथ सत्र 2011–12 में चेक सं0 251106/10.6.2011 राशि 732138/– एवं चेक सं. 251108/5.7.2011 राशि 11616/– को स्टेट बैक में मिस–प्लेस होने के चलते इस सत्र में रदद करना पड़ा। उत्तर स्पष्ट नहीं था। इसे अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

(ii) लेखापाल रोकड़बही में प्रविष्टि नहीं

रोकडपाल रोकड़ बही एवं लेखापाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त कुल राशियों की प्रविष्टि लेखापाल रोकड़बही में नहीं किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	विवरणी	2010–11	2011–12
1	एच रसीद	112247.78	381395.36
2	विविध	238125.50	410227.55
3	पेशाकार	2690.00	2250.00
4	खतरनाक एवं भयावह लाइसेंस	250.00	शून्य
5	अन्य	शून्य	शून्य
	कुल	**353313.28**	**793872.91**

(iii) सहायक रोकड़बही का संधारण नही किया जाना

लेखापाल रोकड़बही में ही 12वॉ वित, 13वॉ वित्त, चतुर्थ राज्य वित आयोग, विधायक मद, कबीर अंत्येष्टि एवं पुल निर्माण मद से संबंधित अनुदानित मदों का संधारण किया जा रहा था। पृथक रूप से उक्त मदों का सहायक रोकड़ बही संधारित नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त मदों से संबंधित प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका। अतः उक्त मदों के लिए पृथक–पृथक सहायक रोकड़बही एवं बैंक पास बुक संधारित किया जाए।

(167)

(iv) **असमायोजित राशि 195000/–**

लेखापाल रोकड़बही की संवीक्षा के अनुसार कबीर अंत्येष्टि मद की राशि ₹195000/– को भारतीय स्टेट बैंक की खाता संख्या 30516279697 में हस्तांतरित दर्शाया गया था। परंतु लेखापरीक्षा में उक्त मदों से संबंधित न तो समायोजन विवरणी प्रस्तुत किया गया और न ही बैक खाता समर्पित किया गया। इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

ख. **रोकड़पाल रोकड़बही**

बैक पास बुक का अंतशेष रोकड़बही से कम

रोकड़पाल रोकड़बही की संवीक्षा के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि नगर परिषद की स्वयं की स्त्रोत से प्राप्त राशि का प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय मद में व्यय किया गया था तथा लेखापाल रोकड़बही में दैनिक वसूली की राशि को संधारित नहीं किया गया था।

रोकड़पाल रोकड़बही एवं बैंक पास बुक में अन्तर राशि 1696990.19 – 1308621= ₹388369.19 का समायोजन ज्ञात नहीं किया जा सका। जबकि विदित है कि रोकड़बही से बैंक पास बुक का कम होना वित्तीय अनियमितताएँ जैसे मामले की ओर इंगित करता है। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। अतः कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह दी जाती है कि अन्तर की राशि का समाधान विवरण तैयार कर लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रषित किया जाय।

ग. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि**

➢ रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2012 को अन्तशेष राशि ₹9721781/– जबकि बैंक पास बुक के अनुसार अन्तशेष 9912630/– है। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

11. <u>सरकारी अनुदान</u>

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालॉकि प्रस्तुत किए गए लेखापाल पंजी (2010–11 से 2011–12) के अवलोकन से पता चला कि 2010–12 वर्ष की अवधि में डुमरांव नगर परिषद को सरकारी अनुदान के रूप में ₹38653761.00 (7548343+31105418) प्राप्त हुए। प्राप्त की गयी राशि की खर्च से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सरकारी अनुदान पंजी के संधारण नहीं करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया।

(A)2010-11

SL NO	LETTER NO/DATE/REB NO	AMOUNT	PURPOSES
1	/25-11-10	3358596	Stamp duty
2	/24-1-11	13000	Census
3	/24-1-11	213400	Census
4	/15-2-11	81000	Election
5	/15-2-11	87750	Census
6	/29-2-11	388257	Salary payment
7	4713/17-8-10	1800000	13th F.C
8	180-30-3-11	1040000	Chhapakal
9	D.M/17*0137/22-2-11	195000	Kabir Antyesthi
10	D.M/2074/12-5-10	12969	Election
11	D.M/07/920/8-10-10	50000	Election
12	D.M/891/2-3-11	308371	Census
	Total	7548343	

(B) 2011-12

Sr no	Letter no/date/Ref no	Amount	purposes
1	/21-4-11	501106/-	Matching hip grant
2	858/21-3-11	2932300/-	Stamp duty
3	13/4-8-11	2000000/-	13th F.C
4	2843/9-9-11	681960/-	Stamp duty

165

5	3015/84/3911/27-11-11	873060/-	Do
6	3015/84/3628/30-11-11	749520/-	Do
7	58/13-3-12	6215000/-	13th F.C
8	61/20-11-12	5000000/-	4th SF.C
9	DM/170613/10-11-11	39000/-	Kabir Antyesthi
10	62/19-3-12	1005656/-	4th SF.C
11	370/29-6-11	81000/-	Election
12	44/25-1-12	128400/-	Ward Councllor allowance
13	DM/26/16-3-12	84200/-	Election
14	52/19-3-12	8603306/-	4th SF.C
15	230/060/23-1-12	405880	Census
16	D.D NO 70214/26-4-11	1800000/-	
17	DD NO 704096/28-4-11	5030/-	
	Total	31105418/-	

लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद अनुदान पंजी अकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः अगले अंकेक्षण दल को अनुदान पंजी के साथ–2 खर्च का उपयोगिता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।

12. लेखा समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 98 के अन्तर्गत लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन तथा इसमें निर्मित नियमों तथा व्यव स्थापना के अनुसार लेखा समिति का दायित्व निम्नलिखित है:–

(क) नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्राप्त धन राशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका की लेखा की जाँच करना तथा नगरपालिका की वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना।

(ख) लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जाँच करना और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना लेखा में विनिर्दिष्ट धनराशि जो संवितरित की गई थी तथा जिन–जिन कार्यो अथवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था, उनके अनुरूप उनका व्यय के लिए उस व्यय के नियंत्रण पदाधिकारी का अनुमति प्राप्त किया जाय। डुमरॉव नगर परिषद् के अन्तर्गत लेखा समिति का गठन नही किया गया था। अतः अधिनियम की धारा–98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. क. **मॉग/वसूली पंजी/विवरणी अप्रस्तुत**

भवनकर की मॉग एवं वसूली पंजी/विवरणी लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद समर्पित नहीं किया गया।

ख. **होल्डिग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का वर्गीकरण नही किया जानाः–**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 (13) के अनुसार नगरपालिका हरेक पाँच वर्ष में होल्डिगों के वार्षिक मुल्य का उर्ध्वगामी (बढ़ते हुए क्रम में) पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुर्नवर्गीकरण करेगी। परंतु नगर परिषद डुमरॉव में होल्डिगों के वार्षिक मूल्यों का पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुर्नवर्गीकण नही किये जाने के कारण नगर निकाय को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही है।

ग. **सरकारी भवनों से बकाया करो की वसूली नही (₹108621/–)**

मकान कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। अतः मॉग एवं वसूली की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। नगर परिषद डुमरॉव द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध करवायी गयी ऑकड़ों के अनुसार 31.3.2012 तक सरकारी भवनों पर बकाया करों की कुल राशि ₹108621/– थी।

अतः बकाया करों की कुल राशि ₹108621/– की वसूली के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं प्राप्त राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए तथा अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट V पर संलग्न)

घ **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नही (₹574588/–)**

शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस सरकार के राजस्व का हिस्सा है। नगर परिषद द्वारा गृह कर के आधी राशि को शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के रूप में होल्डिंग धारकों से ली जाती है। नियमानुसार नगर परिषद को वसूली चार्ज के रूप में 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि को सरकार से संबंधित शीर्ष में जमा करना था। परंतु नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया। विवरणी इस प्रकार हैः–

क्र.सं.		वर्ष 2010–11 में वसूली गई राशि	वर्ष 2011–12 में वसूली गई राशि	कुल राशि	10 प्रतिशत राशि वसूली चार्ज के रूप में	शेष राशि जो सरकर के संबंधित शीषों में जमा करना था।
1	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस	235747.00	402684	638431	63843	574588.00

अतः राशि 574588/– को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर जमा की वास्तविक स्थिति को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

14. राजस्व के स्रोत

क. लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि/कम जमा राशि (₹0.17 लाख)

क्र. सं.	दिनांक	रसीद सं.	कर तहसीलदार का नाम	नहीं जमा राशि	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि	बैंक खाता सं0 एवं जमा तिथि
3	10.11.11 से 12.01.12	601–700	श्री अजय राय	17526	17207	A/c No.SBI 11747942102 22.12.12
			कुल		**17207.00**	

लेखा परीक्षा के दौरान ₹17207.00 जमा करने के बावजूद ₹319 कम जमा की गई थी। अतः ₹319 की राशि नगर निकाय कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

ख. प्राप्त राजस्व को नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया जाना (₹0.59 लाख)

(i) नगर परिशद डुमरॉव में प्राप्त राजस्व को परिषद कोष में जमा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद श्री मोईन अहमद, कर तहसीलदार द्वारा न तो जमा किया गया और न ही प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही की गई थी। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	विविध रसीद सं. व तिथि	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	नहीं जमा की राशि	कर तहसीलदार का नाम
1	762–800 5.07.2010	33423	–	33423	श्री मोईन अहमद
2	958–971 18.12.2010 से 20.12.2010	3928	–	3928	श्री मोईन अहमद
3	972–997	20793	–	20793	श्री मोईन अहमद
	कुल	**58144**		**58144**	

अतः उक्त तहसलीदार द्वारा 2 वर्षो से प्राप्त राजस्व को स्वयं के पास रखकर लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद जमा नहीं किया जाना राशि की दुर्विनियोजिता से इंकार नहीं किया जा सकता है। कृपया वसूली के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाया जाए।

(ii) भवन कर से संबंधित एच0 रसीद का दैनिक की वसूली पंजी तथा कैशियर कैश बुक के जांच के दौरान पाया गया कि वसूली गई कर की राशि को परिषद में कम जमा किया गया था। जिसका विवरणी निम्न प्रकार है:–

'\(6)

क्रम सं0	दिनांक	रसीद सं0	वसूली गई राशि(₹)	जमा की गई राशि(₹)/तिथि	कम जमा की राशि(₹)	कर संग्राहक का नाम
1	20.09.10	96	80	—	—	मोईन अहमद
2	20.9.10	97	120	—	—	मोईन अहमद
3	20.9.10	98	160	—	—	मोईन अहमद
4	20.9.10	99	8	—	—	मोईन अहमद
5	20.9.10	100	450	—	—	मोईन अहमद
		कुल राशि	**818**	**₹413/18.1.11**	**405**	
1	8.6.11	972	76	—	—	मुमताज भोख
2	8.6.11	973	76	—	—	मुमताज भोख
3	8.6.11	974	70	—	—	मुमताज भोख
4	8.6.11	975	निरस्त	—	—	मुमताज भोख
5	8.6.11	976	44	—	—	मुमताज भोख
6	8.6.11	977	148	—	—	मुमताज भोख
7	8.6.11	979	12	—	—	मुमताज भोख
8	8.6.11	979	50	—	—	मुमताज भोख
9	9.6.11	980	800	—	—	मुमताज भोख
	कुल		**1276**	**₹876/12.07.11**	**400**	

अतः उक्त करों की कम जमा की गयी राशि ₹805(405+400) संबंधित तहसीलदारों से वसुल करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

ग. लेखापरीक्षा में संग्रहण रसीद अप्रस्तुत

विविध रसीद के भंडार पंजी के जांच के क्रम में पाया गया कि वसूली हेतु विभिन्न कर्मचारियों को विविध रसीद निर्गत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान रसीद जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	रसीद निर्गत तिथि	रसीद सं0	किसे निर्गत किया गया (प्राप्तकर्त्ता)
1	14.07.2010	801–900	श्री मोईन अहमद, विधि सहायक
2	8.04.2011	1001–1100	श्री अजय कु0 राय, प्रधान सहायक
3	—	1101–1200	श्री मुमताज शख, स0 जमादार
4	24.10.11	1201 -1300	श्री जीतन प्र0 यादव

(परिशिष्ट–VI)

उक्त रसीद को लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं करने के कारण गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अगले अंकेक्षण में अवश्य ही प्रस्तुत किया जाय।

15. <u>सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा नहीं करने से स्टाम्प शुल्क मद में राजस्व हानि ₹859/–</u>

नगर परिषद डुमराव द्वारा सैरात पंजी का संधारण नही किया गया है। सैरातों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्षे 2010–11 में तीन सैरातों की बन्दोवस्ती की गयी थी। जिसका विवरणी निम्न प्रकार है:–

(i) वधशाला की बन्दोवस्ती :–

(क) बन्दोबस्ती की राशि :– रू0 2051

(ख) बन्दोवस्त धारी का नाम :– याशीन कुरैशी

(ग) स्टॉप शुल्क :– रू0 62

(ii) वधशाला के बगलवाली जमीन की बन्दोवस्ती

(क) बन्दोवस्ती की राशि :– रू0 5551/–

(ख) बन्दोबस्त धारी का नाम :– बबन शाह

(ग) स्टाम्प शुल्क :– रू0 167

3.गोला के पीछे वाली जमीन की बन्दोबस्ती :–

(क) बन्दोबस्ती की राशि :– रू0 21000/–

(ख) बन्दोबस्ती धारी का नाम :– कसमुद्दीन अंसारी

(ग) स्टाम्प शुल्क :– रू0 630/–

1159

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) राज्य सरकार के पत्रांक 1920/Re /मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2008 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549/15.03.05 के अनुसार कुल बन्दोवस्ती की राशि का 3 प्रतिशत के स्टाम्प पर बन्दोवस्ती का निबंधन किया जाता है। परन्तु नगर परिषद् डुमरांव द्वारा स्टाम्प पर निबंधन नहीं करने के कारण राज्य सरकार का सम्बंधित मद में रू0 859 (62+167+630) की हानि हुई। इसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से की जाय।

(ii) सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है जिससे सैरातों की सही संख्या नहीं ज्ञात की जा सकी। अतः सैरात पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

16 बकाया दूकान किराया (राशि ₹ 78676.00)

नगर परिषद दूकान किराये की मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत मांग एवं वसूली विवरणी के अनुसार परिषद के परिसर में कुल 51 दूकान अवस्थित है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार 31.03.2012 तक कुल रू. 78676 बकाया किराया था। जिसकी वसूली कर निगम कोष में जमा किया जाए।

विस्तृत विवरणी संलग्ण परिशिष्ट–VII पर दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) जनवरी 2002 से दूकानों से किराया वसूला जा रहा है। परन्तु 11 वर्षो के पश्चात भी दूकान किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी हैं। दुकानों के आवंटन पत्र में भी दूकान किराया में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई विवरण नहीं है। दुकान किरायों में बढ़ोत्तरी/पुनरीक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

(ii) दुकान सं0 46 अभी तक आवंटित नहीं किए जाने से जनवरी 2002 से 31.03.2012 तक कुल 123 महीनों के लिए 240 रू. प्रतिमाह रू. 32400 का नुकसान नगर परिषद को हुआ है। आवंटन नहीं करने को स्पष्ट कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

17. योजनाओं की भौतिक स्थितिः–

नगर परिषद डुमरॉव के अन्तर्गत कियान्वित योजनाओं के प्रस्तुत ऑकड़ों के अनुसार मदवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रमां0	मद का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या
1	बी0आर0जी0एफ0	48	48
	कुल	48	48

(विवरणी परिशिष्ट–IX)

प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार वर्ष 2010–11 की योजना मद पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय दर्शाते हुए समर्पित किया गया था।

18. राज्य योजना एव बी.आर.जी.एफ. के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं(₹5.17 लाख)

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना संचिकाओं के नमूना जाँच के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा की शर्तो के अनुसार निर्धारित समय में 23(तेइस) क्रियान्वित योजनाओं को पूर्ण नही किया गया था बिहार लोक निर्माण विभाग Schedule XLV From No-61 की संवेदक की शर्ते Clause-2 के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने पर प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलन के 10 प्रतिशत क्षतिपूर्त्ति राशि वसूलने का प्रावधान है। लेकिन क्षतिपूर्ति राशि ₹516530.00 की वसूली नहीं की गयी। अतः उक्त नियम के आलोक में वसूली सुनिश्चित किया जाए।

(परिशिष्ट–VIII)

19. श्रम उपकर की कटौती नहीं राशि ₹102353.00

वर्ष 2007–08 में बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें सभी प्रकार के निर्माण कराने वाले केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्रों में दस लाख से अधिक लागत से निर्माण होने वाले व्यक्तिगत भवन, अपार्टमेंट पर कुल लागत राशि का एक प्रतिशत राशि सेस के रूप में काटकर निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यो के संचालन हेतु कल्याण बोर्ड में जमा करना था।

प्रत्येक निविदा में एक प्रतिशत सेस की राशि कुल लागत पर काटे जाने का उल्लेख निविदा में अवश्य किया जाय। नगर परिषद डुमराव द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया। संबंधित विवरण निम्नलिखित है:–

157

क0सं0	मद	वर्ष	कियान्वित कुल योजनाओं की संख्या	संवेदक को किया गया कुल भुगतान	सेस की राशि का 1 प्रतिशत
1	बी.अर.जी.एफ.	2010–2011 एवं 2011–12	48	10235398.00	102353.00
	कुल				**102353.00**

अतः श्रम सेस की राशि ₹102353.00/– की वसूली कर अगले अंकेक्षण को बताया जाय।

20 (क)सोलर लाईट अधिष्ठापन में अनियमितताएं(12वीं वित्त आयोग मद)

बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के पत्रांक – 2प/वि 7–165/2008/6193/पं0 स0 / दिनांक 22.7.2010 के आलोक में सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेर्शित किया गया कि सोलर लाईट्स का क्रय एवं उसका अधिष्ठापन ब्रेडा या वेलट्रान के माध्यम से या ब्रेडा द्वारा अधिकृत विक्रेता से ब्रेडा द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदंड के आधार पर ही किया जा सकता है।

उक्त निर्देशानुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बक्सर के पत्रांक – 825/अभि0 दिनांक 26.4.10 के आलोक में अक्षयों ऊर्जा शॉप वसुंधरा कॉम्पेक्स बक्सर को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एवं प्राधिकृत प्रतिष्ठान ''नामित'' किया गया था।

नगर परिषद डुमरांव के पत्रांक – 511 दिनांक 4.8.2010 द्वारा 12 वीं वित्त आयोग मद से अखण्ड ज्योति अक्षय ऊर्जा शॉप को उप वि0 आ0 के पत्रांक –825 दिनांक 26.4.10 एवं सचिव पंचायती राज्य विभाग पटना के पत्रांक 1141/14.2.10 से प्राप्त निदेर्शित ब्रेडा पटना के पत्रांक –1554 दिनांक 12.11.2009 के अनुसार 78 सोलर लैम्प को निर्धारित स्वीकृत दर मो0 25875 रू0 प्रति यूनिट की दर से आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन हेतु आदेश दिया गया था। इस हेतु आपूर्तिकर्त्ता फर्म अखण्ड ज्योति उर्जा शॉप को किए गए भुगतान की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	चेंक सं0/तिथि	राशि (₹)
1	737585/16.8.2010	350000.00
2	737586/26.8.2010	300000.00
3	737588/4.10.10	600000.00
4	737591/2.12.2010	500000.00

5	737594 / 12.2.11	168250.00
6	251112 / 2.8.2011	59635.00
	कुल	**1977885.00**

(ii) संचिका में उपलब्ध अभिश्रवों की सूची:–

क्रय सं0	*विवरणी क्रय तिथि*	*मात्रा*	*राशि (रू0)*
1	247 / 23.11.2010	3	77625.00
2	246 / 8.10.2010	26	672755.00
3	244 / 20.9.2010	35	905632.00
	कुल	**64**	**1656012.00**

लेखापरीक्षा टिप्पणी

- सोलर क्रय के लिए निविदा आमंत्रित नहीं किया गया केवल डी0आर0डी0ए0 बक्सर के निर्देशानुसार अक्षय ऊर्जा शॉप को अन्य सोलर एजेन्सीयों के कॉटेशन की तुलनात्मक दर निर्धारण किये बिना क्रय के लिए निदेशित किया गया ।
- क्रय समीति का गठन नहीं किया गया। केवल बोर्ड की सहमति के आधार पर अनियमित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी डुमरांव ने सोलर क्रय का आदेश निर्गत किया।
- स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया है। जिससे स्टॉक की वास्तविक स्थति की जांच नहीं की जा सकी।
- अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा समर्पित आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।
- नोटशीट टिप्पणी के अनुसार 78 सोलर लाइट की आपूर्त्ति की गयी परन्तु संचिका में मात्र 64 सोलर लाइटों का विपत्र पाया गया।

अतः उपर्युक्त टिप्पणियों का निराकरण होने तक भुगतान की गयी ₹1977885.00 की राशि लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(ख) संदेहास्पद सोलर अधिष्ठापन

नगर परिषद बोर्ड द्वारा 12 वीं वित्त मद के अन्तर्गत 78 स्थानों पर सोलर लाईट के अलावा अन्य मदों से भी सोलर लाईट मद में व्यय किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	निधि	एजेन्सी	चेक सं0 / तिथि	राशि(₹)
1	बी0आर0जी0एफ	अक्षय ऊर्जा शॉप	529988 / 20.5.11	122900
2	,, ,,	,, ,,	93761 / 7.1.2012	3887
3	,, ,,	,, ,,	93768 / 21.4.2012	500000
4	13 वीं वि0 आय	,, ,,	241140 / 24.3.2012	500000
			कुल	**1126787**

लेखा परीक्षा आपत्ति

लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद निम्न आवश्यक दस्तावेज / पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया था क. क्रय समीति का गठन ख. निविदा आमंत्रण की प्रतिलिपि ग. स्टॉक पंजी एवं घ. संचिका

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा।

उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत होने तक व्यय की गयी राशि ₹1126787 / -- लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

21. <u>जलापूर्त्ति योजना के कियान्वयन में अनियमितताएँ (₹13.59 लाख)</u>

1. योजना का नाम :– माननीय विधायक के अनुशंसा पर नगर परिषद डुमरांव अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में दो चापाकल लगाया जाना वित्तीय वर्ष 2007–08.
2. संवेदक का नाम :– श्री ज्योतिष भूषण राय।
3. कार्यादेश :– पत्रांक 282 / 23.05.09 (कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् डुमरांव)
4. कार्यपूर्ण करने की अवधी :– 1 माह
5. प्राक्कलित राशि :– रू0 1912560 / 52 चापाकलों के लिए।
6. भुगतान विवरणी

क्रम सं0	चेक सं0 / तिथि	बिल की राशि(₹)	कटौती पश्चात भुगतान(₹)	2% आयकर की कटौती नहीं
1	737577 / 22.02.10	56896.00	50486.00	

2	737577 / 22.02.10	14481.00	12850.00	
3	"	92235.00	81844.00	
4	"	18813.00	16693.00	
5	"	75886.00	67336.00	
6	"	43964.00	39011.00	
7	737584 / 4.08.10	199600.00	176226.00	
8	737592 / 6.12.10	121379.00	116524.00	2428.00
9	737595 / 17.2.11	193817.00	186064.00	3876.00
10	251104 / 28.04.11	246036.00	236195.00	4920.00
11	251113 / 02.08.11	151390.00	145335.00	3027.00
12	251118 / 27.08.11	144427.00	138650.00	2889.00
	कुल	**13,58,924**	**12,67,214.00**	**17,140.00**

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) क्रम सं0 7 से 12 तक अंकित बिलों की अभिकर्त्ता को भुगतान राशि ₹998994 का विपत्र संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।

(ii) क्रम सं0 8 से 12 तक के विपत्रों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194C के तहत 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती रू0 17140.00 नहीं किया गया है। आयकर की राशि ₹17140 जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से वसूल कर सम्बन्धित विभाग में जमा कराकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 की योजना 5 वर्षों के बाद भी अपूर्ण है जबकि उस कार्य को कार्यादेश के 1 महीनें के भीतर पूर्ण करा लिया जाना था।

(iv) चापाकल लगाये जाने का कोई भी प्रमाण संचिका में संलग्न नहीं पाया गया

(v) संचिका में बीड शीड भी संलग्न नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि संचिका अवलोकन के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी। अतः भुगतान की गई राशि ₹1267214.00/– कारण स्पष्ट किये जाने तक लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

1153

22(क) <u>वैट की कटौती नहीं</u>

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 एवं बिहार मूल्य वद्वित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 के अनुसार वस्तुओं के आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा वाणिज्य–कर विभाग द्वारा निर्गत फार्म C-III प्रस्तुत नहीं करने पर आपूर्त्तिकर्त्ताओं को वैट राशि की कटौती कर भुगतान करना है।

परन्तु आपूत्तिकत्ताओं द्वारा फार्मा C-III प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद नगर परिषद द्वारा ₹94847/–वैट की राशि की कटौती आपूर्त्तिकर्त्ताओं के भुगतान से नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म का नाम	वस्तु का नाम	वस्तु का मुल्य	वैट की राशि(₹)
(i)	पाटलिपुत्रा इक्वीपमेंट प्रा0 (लि0), पटना वैअ टीनः 10010651037 इनवायस न0 001431 दिनांक 30.09.11	मिनी पेलोडर	1460000.00	73000.00
(ii)	जायसवाल एजेन्सीज बक्सर इनवायस सं0 84 दिनांकः 02.08.2010	गोदरेज फर्नीचर	174777.00	21847.00
			कुल	94847.00

अतः वैट की राशि ₹94847.00 की वसूली भुगतान हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ख) करों की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया जाना(₹3.30 लाख)

बी0 आर0 जी0 एफ0 मद के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के कार्य विपत्रों से करों के रूप में ₹329741.00 की कटौती की गई थी, परंतु राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। अतः उक्त राशियों को संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।(परिशिष्ट–VIII)

23. **<u>विज्ञापन मद में अनियमित व्यय राशि ₹ 35447.00</u>**

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक – 656 दिनांक 08.03.2008 के अनुसार विज्ञापन नीति, 2008 के क्रियान्वण्यन में नई विज्ञापन नीति के तहत 1 अप्रैल 2008 से सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

परन्तु उक्त राज्यदेश के विपरीत विज्ञापन मद में 2010–11 से 2011–12 में व्यय किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	चेक सं.	राशि (₹)
1	737583 / 28.6.10	8000
2	251108 / 5.7.11	11616
3	251109 / 5.7.2011	10529
4	251110 / 5.7.2011	4302
5	251128 / 29.12.11	1000
	कुल	**35447**

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि विज्ञापन नीति के अनुपालन की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किये जाने तक व्यय की गई राशि ₹35447.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

24. दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रूपया 12.82 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 1–103 / 87–1231 / न.वि.वि.दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध रोकड़बही के अनुसार नगर परिषद डुमरॉव में वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 के दौरान रूपया 1282829 / – दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो कि सरकार के निर्देशो के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि नगर परिषद में सफाई कर्मियों की कमी के कारण दैनिक मजदूर रखकर कार्य करवाया जाता है।

अतः दैनिक मजदूरी पर किये गये व्यय की सरकार से मंजूरी ली जाय। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक व्यय की राशि रूपया 1282829 / – लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(परिशिष्ट–VI)

25. <u>अग्रिम(₹1.78 लाख)</u>

क. अंग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। अग्रीम पंजी से संबंधित प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से पता चला कि मुमताज शेख ने 2010–12 की अवधि में 90000 रू0 अग्रिम के रूप में लिया (प्रयोजन सफाई कार्य) विवरणी इस प्रकार है:–

क्रम सं.	चेक सं0	दिनांक	राशि(₹)
1	13827	6.02.11	10000
2	13834	12.8.11	20000
3	13838	29.9.11	30000
4	13817	14.10.10	10000
5	13833	15.07.11	20000
		कुल	**90000**

उपयुर्क्त राशि में से 80708/– रू0 समायोजन पाया गया शेष राशि 9292/– अभी भी असमायोजित है।

ख. नगर परिषद डुमरांव के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं आवश्यक प्रयोजनों के लिए संबंधित एजेन्सी को अग्रिम स्वीकृत किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र.सं0	वि0वर्श	अग्रिम प्राप्तकर्ता	चेक सं0	राशि
1	2010–2011	श्री मुमताज शेख (सफाई कर्मी)	737590, 23.10.11	45000
2	2011–2012	श्री मुमताज शेख (सफाई कर्मी)	25.11.06,10.06.11	10000
3	2011–2012	श्री जीतन सिंह यादव	25119, 7.09.2011	112645
	कुल			**167645**

अतः अग्रिम की कुल राशियों का समायोजन /वसूली की जाय एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

26. पेशन एवं उपादेय

लेखापाल रोकड़वही कें अनुसार पेंशन एवं उपदेय मद में निम्न प्रकार से व्यय किया गया था:–

क्रम संख्या	अवधि	राशि (₹)
	2010–11	

1.	जनवरी 2010 से फरवरी 2011	243386.00
	2011–12	
1.	जून	51135.00
2	अगस्त	299720.00
3	सितम्बर	40716.00
4	फरवरी 2012	110831.00
	कुल	502402.00

अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद लेखापरीक्षित इकाई द्वारा सेवापुस्तिका एवं समायोजन विवरणी अंकेक्षण दल को समर्पित नहीं किया गया था। जिससे व्यय की गई लोक धन की वास्तविकता ज्ञात नहीं किया जा सका। अतः व्यय की कुल राशि ₹745788/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

27. भविष्य निधि

लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्मिकों के वेतन से भविष्य निधि मद में कटौती किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	अवधि	चेक सं0/तिथि	राशि (₹)
1.	जून 2011	251106/10.6.11	16180
2.	अगस्त 2011	25116/16.8.11	9758
3.	सितम्बर 2011	251121/30.9.11	6706
		कुल	**32644**

लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद भविष्य निधि से संबंधित संचिका अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिससे यह ज्ञात किया जाना अपेक्षित रहा कि भविष्य निधि मद की राशि किस बैंक शाखा में प्रेषण किया जा रहा है एवं कार्मिकों के भविश्य निधि की अद्यतन स्थिति क्या है। अतः भविष्य निधि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समर्पित किये जाने तक कटौती की गई राशि ₹32644 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

(149)

28. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में दिनांक 29.12.2012 को चर्चा की गई साथ ही पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर भी विचार–विमर्श किया गया। परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में नजरअंदाज किया गया।

29. अंकेक्षण का परिणामः–

(क) लेखा परीक्षा के दौरान जमा कराई गई राशि ₹17207.00

(ख) लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गई राशि ₹64,68,594.00

(ग) वसूली के लिए सुझायी गई राशि ₹790997.00

(परिशिष्ट– X)

30. सामान्य अभियुक्तिः–

अभिलेखो का संधारण संतोषप्रद नहीं था। प्रमुख अभिलेख तथा ऑडिट रजिस्टर, अनुदान पंजी, ऋण, ऋण विनियोग पंजी एवं सहायक रोकड़बही (13वॉ वित आयोग, चतुर्थ राज्य वित आयोग, 12वॉ वित आयोग विधायक मद, पुल निर्माण मद एवं कबीर अंत्येष्टि) का संधारण नही किया गया था। लम्बित अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा रहा था। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में न तो प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही की गई थी और न ही बोर्ड के द्वारा कभी विचार–विमर्श किया गया। लेखापाल रोकड़बही में रोकड़पाल रोकडबही की राशि को संधारित नहीं किया जा रहा था। करों के पुर्ननिर्धारण नहीं करने एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त होने वाली राजस्व के प्रति न तो प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाया गया था और न ही बोर्ड की तरफ से विकासपरक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। अधिकांशतः विकास का कार्य सरकार द्वारा अनुदानित राशि से ही किया गया। संपत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को संधारित नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितताएँ की ओर इंगित करती है। सोलर लाईट मद में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। दुकानों के आवंटन में अनियमितताएँ के कारण नगर निगम को राजस्व की हानि हो रही है।

अतः बिहार नगरपालिका नियमावली में वर्णित अभिलेखो को संधारित कराने में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय एवं लेखा समिति का गठन कर लेखाओं के कार्य को पारदर्शी बनाया जाय।

ह०/–

राजेश कुमार साह

(सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस० एस०.I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

सं0एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्थानि0 / दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

– ह० –
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14373 / 1329 दिनांक 16/09/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, बक्सर

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना